न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 37/2019
तारीख निर्णय – 16.03.2021

प्रार्थी :–

1. जगाराम पुत्र हरारामजी आयु–45 वर्ष, जाति–सरगरा, निवासी–काणा, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. पन्नाराम पुत्र देवारामजी आयु–60 वर्ष जाति–देवासी निवासी–छोडा
2. तिजो पत्नी पन्नारामजी आयु–58 वर्ष, जाति–देवासी निवासी–छोडा

(वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से – वकील दिनेश माली।
2– अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– **दिनांक– 16.03.2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 की सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद छोडा, पटवाड हल्का छोडा तहसील–देसूरी जिला–पाली की सीमा क्षेत्र के खसरा संख्या 1323/908 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 910 क्षेत्रफल 0.1100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 02 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टर कुल लगान 01.68 रूपये की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त की कृषि भूमि विद्यमान है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार घीसूलाल पुत्र दरगाजी मेघवाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 10.10.2019 को खरीद कर कब्जा काश्त और खातेदारी हक अधिकार प्राप्त किये थे। प्रार्थी को बतौर खातेदार सम्पूर्ण वादग्रसत कृषि भूमि में खातेदारी हक अधिकार प्राप्त है, प्रमाण में विक्रय विलेख की प्रति और वर्तमान जमाबन्दी की प्रति सलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:09 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार से कोई हक अधिकार प्राप्त नही है और ना ही हक अधिकार कभी रहा है। प्रार्थी अनूसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति होने से अप्रार्थीगण की नियम प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर होने से अप्रार्थीगण धमकिया दे रहे है कि तुझे वादग्रस्त आराजी पर काश्त नही करने देगे और तुझे जोर जबरदस्ती बेदखल कर वादग्रस्त आराजी पर रातों रात हटाकर तेरी जमीन पर कब्जा कर देगे।इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा लगातार बिना किसी विधिक हक अधिकारिता के दिनांक 15.12.2019 से धमकियां दी जा रही है। जिससे अप्रार्थीगण को रोकने हेतु प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी में निहित तमाम खातेदारी हक अधिकारो की सुरक्षार्थ वाद बाबत निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया गया है। जिसमें सुनवाई का समय लगने और दौराने सुनवाई प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की सुरक्षार्थ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्त कारी अधिनियम के तहत पेश किया है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मौजा सरहद छोडा, पटवाड हल्का छोडा तहसील–देसूरी जिला–पाली की सीमा क्षेत्र के खसरा संख्या 1323/908 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 910 क्षेत्रफल 0.1100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 02 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टर कुल लगान 01.68 रूपये की भूमि मे अप्रार्थीगण स्वयं और अपने एजेन्ट प्रतिनिधिगण के मार्फत प्रार्थी को जोर जबरदस्ती बेदखल नही करे, प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप या दखलदांजी नही करे, प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त और सुधार कार्यो में कोई रोक टोक नही करे, वादग्रस्त आराजी के आवागमन में कोई रोक टोक नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र मे निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। जिसमें वकील प्रार्थीगण का तर्क है कि मौजा सरहद छोडा, पटवाड हल्का छोडा तहसील–देसूरी जिला–पाली की सीमा क्षेत्र के खसरा संख्या 1323/908 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 910 क्षेत्रफल 0.1100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 02 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टर कुल लगान 01.68 रूपये की कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं खातेदारी हक अधिकार का विद्यमान है। जिस बाबत पत्रावली

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

का अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2073–2076 से प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि होना पृथम दृष्टया प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस मे कथन किया गया प्रार्थी अनूसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति होने से अप्रार्थीगण की नियत प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर होने से अप्रार्थीगण धमकिया दे रहे है कि तुझे वादग्रस्त आराजी पर काश्त नही करने देगे और तुझे जोर जबरदस्ती बेदखल कर वादग्रस्त आराजी पर रातों रात हटाकर तेरी जमीन पर कब्जा कर देगे। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा लगातार बिना किसी विधिक हक अधिकारिता के दिनांक 15.12.2019 से धमकियां दी जा रही है। जिसका कोई विधिक अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है। अतः प्रार्थी को ज्यादा असुविधा व विवाद बढने की पूर्ण संभावना रहेगी जिससे पृथम दृष्टया सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश विरूद्ध अप्रार्थीगण के जारी नहीं किया जाता है तो खसरा संख्या 1323/908 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 910 क्षेत्रफल 0.1100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 02 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टर पर अप्रार्थीगण द्वारा जोर जबरदस्ती अवैध रूप से बल पूर्वक अतिक्रमण एवं काश्त को नुकसान किया जायेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति का मूल्याकंन रूपयो पैसो से नहीं की जा सकेगी।

इस संबंध मे न्यायालय की राय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी की प्रति से यह स्पष्ट होता है कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के हक अधिकार की खातेदारी कृषि भूमि है। अतः अपूरणीय क्षति के संबंध मे यदि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में जोर जबरदस्ती प्रवेश व प्रार्थी को काश्त नही करने दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपये पैसे से नहीं हो सकती है। अतः अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत [illegible] प्रार्थी पक्ष में साबित होने से न्यायालय की राय में प्रार्थी का यह अस्थाई [illegible] पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

पेज लगातार 04 पर ...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—: आदेश :—

प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा ग्राम छोडा के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1323/908, 910 कुल रकबा 0.24 हैक्टर की खातेदारी कृषि भूमि का अप्रार्थीगण स्वयं या अप्रार्थीगण अपने कोई प्रतिनिधि ऐजेन्ट के मार्फत या किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत प्रार्थी को जोर जबरदस्ती बेदखल नहीं करें, प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप या दखलन्दाजी नहीं करें, प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त ओर सुधार कार्यो में रोक टोक नहीं करें ना ही करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:09 IST
Reason: SelfAttested